COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(68)

—: न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश :—

निगरानी प्रकरण क्र0 /05—06 सन् 2006

1. दुर्गेश खरे उम्र 33 वर्ष तनय केशवकांत खरे निवासी न्यू कॉलोनी छतरपुर
2. अविनाश खरे उम्र 43 वर्ष तनय भगवत प्रसाद खरे निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी सागर रोड छतरपुर
3. अनिल अग्रवाल उम्र 41 वर्ष तनय एम.एल. अग्रवाल निवासी महल रोड छतरपुर
4. मो0 यूनिस उम्र 32 वर्ष तनय बाबू खाँ निवासी नारायणबाग छतरपुर
5. राजीव लोचन दुबे उम्र 32 वर्ष तनय रामदयाल दुबे निवासी पहाड़गांव छतरपुर
6. हरिनारायण पाठक उम्र 43 वर्ष तनय गंगाप्रसाद पाठक निवासी चौबे कॉलोनी छतरपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदकगण

बनाम

द्वारा आज दि0 20/7/06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील छतरपुर

अनावेदक

R R93/III/06

(निगरानी/पुनरीक्षण मध्यप्रदेश भू0 रा0 स0 1959 की धारा 50 के अंतर्गत श्रीमान न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण क्र0 3/अ—6—अ/04—05 में पारित आदेश दिनांक 13—04—05 के विरुद्ध)

20-7-06

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त इस प्रकार है कि ग्राम बगौता पटवारी हल्का नं0 37 तहसील व जिला छतरपुर म.प्र. की भूमि खसरा नं0 1905/3 रकवा 3.87 एकड़ संवत 2009 से लगायत संवत 2031 तक खातेदार तुलसिया तनय ननन्नाई काछी के नाम गैर हकदार वर्ग 10(6) में दर्ज चला आया है एवं संवत 2032 में खातेदार तुलसिया फौत होने के कारण उसके वारिस विनिया, मनकी, जुग्गी, पुत्री तुलसिया काछी के नाम वारसान नामान्तरण होने की टीप खसरे में लगी है। तथा संवत 2032 यानि सन् 1974—75 से लगायत विनिया वगैरह का नाम गैर हकदार के रुप में दर्ज चला आया है। लेकिन उक्त सह खातेदारों में से विनिया फौत होने के कारण उसके वारिस एकमात्र पुत्र जगन तनय पुन्ने काछी निवासी मलका तहसील छतरपुर के नाम वारसान नामान्तरण पंजी क्र0 208 दिनांक 27—04—92 से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है और फिर सह खातेदार के रुप में जगन तनय पुन्ने काछी, मनकी, जुग्गी पुत्री तुलसिया काछी के नाम भूमि स्वामि स्वत्व में दर्ज होने के कारण उक्त खसरा नं0 1905/3 रकवा 3.87 एकड़ को जगन, मनकी व जुग्गी काछी ने विक्रय पत्र दिनांक 1—04—93 को निगरानीकर्ता 2 से 4 तक को विक्रय कर दिया तथा निगरानीकर्ता क्र0 2 से 4 तक ने उक्त भूमि को विक्रय पत्र से विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 6—09—93 से क्रेता निगरानीकर्ता क्र0 5 को विक्रय कर दिया था। जिसका विक्रय पत्र से विक्रय पत्र होने के कारण दोनों विक्रय पत्र क्र0 1128 एवं 1149 का एक ही नामान्तरण पंजी क्र0 71 दिनांक 7—10—93 से सक्षम अधिकारी द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया था तथा इसी क्रम में निगरानीकर्ता क्र0 5 ने उक्त विवादित भूमि को विक्रय दिनांक 12—03—94 के द्वारा खसरा नं0 1905/3 में से रकवा 0.960 हेक्टर दुर्गेश खरे को विक्रय कर दिया था। तथा इसी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1293-दो/06 **जिला** - छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/03/18	यह निगरानी तहसीलदार, छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 3/अ-6-अ/04-05 में पारित आदेश दिनांक 13.04.05 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुन: दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 3/ आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदकों के नाम चली आ रही है अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को बिना सुनवाई के शासन के नाम दर्ज करने में त्रुटि की है । भूमि पर लगभग 50 से ज्यादा मकान निर्मित हो चुके हैं और उसमें लोग निवासरत हैं । क्रेताओं का नामांतरण सक्षम अधिकारियों ने किया है एवं डायवर्सन कराया गया है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाए गए तुलसिया एवं विजइया काछी फोत हो चुके हैं, यह बात तहसीलदार ने अपने आदेश में की है ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश मृतक व्यक्तिके विरूद्ध पारित होने से निरस्ती योग्य है । यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय को धारा 115 के अंतर्गत स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार है परंतु इस प्रकरण में कार्यवाही शिकायत के आधार पर की गई है जो नियम विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताया गया तथा यह भी कहा गया कि तहसीलदार का आदेश अपीलीय आदेश है जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है अत: निरस्त की	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	जाये। 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने आलोच्य आदेश कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18-8-04 में दिए गए निर्देशानुसार की है । उक्त आदेश द्वारा कलेक्टर ने तहसीलदार को प्रकरण में संहिता की धारा 115 के तहत कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए थे । तहसीलदार ने उसी अनुरूप कार्यवाही करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है। तहसीलदार का आदेश अंतिम स्वरूप का होकर अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की जाती है। आवेदकगण तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र हैं । **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	